

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4985  
23 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

**मेगा फूड पार्कों की निगरानी**

**4985. श्री मनोज तिवारी:**

**श्री रेबती त्रीपुरा:**

**श्री संतोष कुमार:**

**श्री विजय कुमार दूबे:**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्यमान मेगा फूड पार्कों के कार्यकरण की निगरानी के लिए सरकार का कोई तंत्र है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर उत्तर-पूर्व राज्यों, बिहार, दिल्ली/एनसीआर, उत्तर प्रदेश और इनके निकटवर्ती क्षेत्रों का ब्यौर क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या सरकार से अनुदान प्राप्तकर्ता किसी मेगा फूड पार्क से सरकार को कोई शिकायत हुई है और इस पर कार्यवाही की गई है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) और (ख): जी, हां। मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्कों के कार्याकलापों की स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार एक सुस्थापित तंत्र के माध्यम से नजदीकी निगरानी की जाती है। इसमें, विशेष प्रयोजन उपायों (एसपीवीज)/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईएज) से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की विस्तृत छानबीन, एसपीवीज/आईएज से प्राप्त दावों का परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) द्वारा सत्यापन, पीएमए एवं मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल दौरे के माध्यम से प्रगति का मूल्यांकन, माननीय मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) के माध्यम से मंत्रालय द्वारा आवधिक समीक्षा शामिल हैं। मंत्रालय ने परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान उठने वाली स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए वर्ष 2010 में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय मेगा फूड पार्क समन्वय समिति की स्थापना की है। मंत्रालय, अनुमतियां शीघ्र प्राप्त करने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के विभिन्न संबंधित विभागों/एजेंसियों के साथ मामलों को उठाता है। परियोजनाओं की निगरानी में राज्य सरकारों को शामिल किया गया है। मंत्रालय, मेगा फूड पार्कों की बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एसपीवी के बोर्ड में वरिष्ठ स्तर के एक उपयुक्त अधिकारी को निदेशक के तौर पर नामित करने का अनुरोध करता रहा है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ): मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के कार्य निष्पादन के संबंध में कभी-कभार शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।